SPECIAL MARRIAGE (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : Sir, I move :

> "That the Bill further to amend the Special Marriage Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration." (*Interruption*) I hope the House has understood it.

श्री श्रोम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के लिए, जो कि स्पेशल मैरेज ऐक्ट के संशोधन के लिये है, कानून मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इसमें इतना संशोधन कर दिया है कि पति और पत्नी में से कोई भी व्यक्ति यदि न्यायालय से अलाहदगी चाहे तो उसको इसका अधिकार होगा कि वह तलाक ले ले। इस संशोधन के द्वारा आपने दोनों को अधिकार दिला दिया है। उनमें से कोई भी तलाक ले सकता है। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं और आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप इस मैरेज ऐक्ट में संशोधन लाये हैं उसी प्रकार से समाज सुधार के अनेकों कानून आपके यहां हैं, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। इस प्रकार के अनेक विधानों में संशोधन आपको लाना चाहिए। मैं प्रमाणस्वरूप कहना चाहता हूं कि आपने बाल विवाह विधेयक पास किया। उसके बाद भी आज समूचे देश में बाल विवाह होते हैं। लगभग 30-40 प्रतिशत विवाह आज इस प्रकार के हो रहे हैं जो बाल विवाह होते हैं।

आपका कानून तो पास हो जाता है, लेकिन चूंकि कानून में खामियां होती हैं, उनमें कमजोरियां होती हैं इसलिए उनका पालन नहीं होता है। इन मामलों में नियम यह बनाया गया है कि कोई शिकायत करे। गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता है बाल विवाह को रोकने के लिए। एक ओर आप फैमिली प्लैनिंग करना चाहते हैं और दूसरी ओर बाल-विवाह चालू हैं। इसमें कोई संशोधन करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। इसका कारण मैं जानता हूं कि आप क्यों आना-कानी कर रहे हैं।

एक और दूसरी चीज है। गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले बड़ी कोशिश करके हमारी बहनों के विवाहों में दहेज प्रथा के लिए कानून पास किया, जिसमें दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी दृष्टिकोण से बुरी चीज मानी जा रही है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, और मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं, कि जितने विवाह देश में हो रहे हैं उनमें दहेज प्रथा पहले से कितनी ज्यादा चल रही है ? दहेज पहले से ज्यादा लिया जा रहा है यह सब जानते है, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार को भी इसके लिये भी कानून में संशोधन लाना चाहिए।

मैं आपसे विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जहां आप विशेष विवाह संशोधन लाये हैं उसी प्रकार से आपको एक आल इंडिया सिविल कोड बनाना चाहिये। इसके सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना है कि आपको इस प्रकार का क्लैरिफ़िकेशन भी उसमें देना चाहिये कि विधान के अनुसार किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है इसका क्या अभिप्राय है। धर्म के किस भाग में हस्तक्षेप करना है और किस भाग में नहीं करना है। धर्म के दो भाग हैं। एक तो पूजा पाठ से सम्बन्ध रखता है और एक वह जो हमारे सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखता है। दूसरा भाग सिविल कोड में आता है, जिसमें आर्थिक बन्धन आते हैं, जिसमें आर्थिक समस्याएं आती हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को डिक्लेअर करना चाहिए कि हम किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि धर्म का सम्बन्ध

पूजा पाठ की पद्धति से है। उसमें सब स्वतन्त्र हैं। लेकिन जहां तक सामाजिक नियमों का सम्बन्ध है, वह सबके लिए समान होंगे। इस प्रकार का कानून पास होना चाहिए सिविल कोड के रूप में, और आपको इस तरह का विधेयक लाना चाहिए।

मैं खास तौर से एक बात कहना चाहता हूं, और वह यह कि आप इस विधेयक के द्वारा तलाक की प्रथा को प्रोत्साहन देना चाहते है।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : दो वर्ष के बदले एक वर्ष किया जा रहा है, और कुछ नहीं किया जा रहा है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : यह जो तलाक की प्रथा बन रही है, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए कड़े नियम बनने चाहिए क्योंकि इसके परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। जिन देशों ने इसको प्रोत्साहन दिया वहां इसके दुष्परिणाम देखने में आये हैं। आज जो हिप्पी संस्कृति निकली है उसने तो विवाह की प्रथा को ही समाप्त कर दिया है। कम्युनिस्ट पालिसी के अनुसार जहां विवाह को कंट्रैक्ट सिस्टम मानकर चलाया गया है, वहां आप देखिये कि क्या हुआ। जब स्वर्गीय लेनिन के सामने यह समस्या आई, जिस समय क्रांति सफल हो गई, तो उसने खुद कहा कि यह ठीक है कि पानी पीने का अधिकार हर स्त्री पुरुष को है, लेकिन अगर नाली का गन्दा पानी कोई पीने लगेगा तो क्या होगा? इसलिए इसको कंट्रोल करना होगा। तलाक की आजादी होते हुए भी आज एशिया में तलाक की संख्या सबसे कम है। इसका कारण क्या है? तलाक देने वाले को पूरी सोसायटी कंडेम करती है। अगर आप इस तरह का सिस्टम लागू करते हैं, तो इसके लिए आपको सख्ती भी करनी पड़ेगी, लेकिन जहां पहले दो वर्ष की सीमा थी, उसको आप एक वर्ष का कर रहे हैं।

दूसरी सबसे बड़ी बात इस सम्बन्ध में बच्चों की समस्या है। यह कानून हमारी रक्षा करने के लिए बनाया गया है, ऐसे स्त्री-पुरुषों की जिनके बच्चे न हों। लेकिन मैं कहना चाहता चाहता हूं कि अगर ऐसे पति पत्नी हैं जिनके पांच छः बच्चे हैं, और पति विलायत गया तथा वहां किसी स्त्री के साथ प्रेम करके चला आया, अगर ऐसे पति को आप तलाक देने की बात सोचते हैं तो उन बच्चों का क्या बनेगा? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई झगड़ा आज है तो वह आदमी का नहीं है, स्त्री का है। महिलाओं के उद्धार के लिए कानून ऐसा बनाया जायें जो तलाक को कम करे। आज पति-पत्नी में मतभेद हो सकता है। उस मतभेद को दूर करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। इसलिये जो दो वर्ष की सीमा रक्खी गई है वह अधिक ठीक है। मंत्री महोदय जो इस समय को एक वर्ष का कर रहे हैं उसको दो ही वर्ष रहने देना चाहिए।

इसमें एक खास चीज को ओवरलुक कर दिया गया है। क्या आप देश में कुत्ते कुतियों वाला जीवन चाहते हैं? कुत्ते ने कुतिया से बच्चे पैदा कर दिये, और भाग कर चला गया। तब फिर आखिर उनके बच्चों का क्या होता है? पशुओं के बच्चों को ज्ञान होता है कि क्या खायें, क्या पीयें, कैसे रहें, लेकिन मनुष्यों के बच्चों के पालन का भार तो केवल स्त्रियों पर होता है।

श्री रा० ढो० भण्डारे : श्री त्यागी कैसी उपमा दे रहे हैं इसको तो उनको सोचना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं आपके सामने फंडामैंटल बात रख रहा हूँ। पशु और पक्षियों के बच्चे तो माता-पिता की तरफ से सच्चा ज्ञान लेकर आते हैं कि वह कैसे खायें, कैसे चलें, कैसे बैठें, लेकिन आदमी के बच्चे मां की तरफ से ऐसा ज्ञान लेकर नहीं आते कि वह कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे चलें, क्या खायें और क्या पियें। उनको इसकी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

है। अगर माता पिता को इस प्रकार का अधिकार दे दिया जाये तो बच्चों को तो अनाथालय में ही रखना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों का निर्माण नहीं हो सकेगा।

इसलिए आप तलाक की प्रथा पर कंट्रोल कीजिये और इस तरह की बनाइये जिसमें तलाक को प्रोत्साहन न मिले। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो फिर देश में हिप्पी संस्कृति का निर्माण हो जायेगा।

16 hrs.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): जो बुनियादी बात है वह यह है कि जो पहले इनका विधेयक था उसमें दो साल की बात थी। सैपेरेशन का हक दोनों पार्टीज को दो साल तक नहीं रहता था। राज्य सभा में जाकर इसको एक साल कर दिया गया। मैं इससे सहमत नहीं हूं। त्यागी जी ने बहुत सी बातें कहीं हैं। मैं बहुत हद तक उनसे इनमें सहमत हूँ। वे सही भी हैं। अमरीका में लास वैगस में पांच सात सौ शादियां रोजाना होती हैं। लेकिन रीनू शहर में पांच सात सौ डाइवोर्स रोज होते हैं। यह मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं। शादियां अमरीका में पांच छः साल से ज्यादा नहीं टिकती हैं। जिन्दगी भर की शादियां तो वहां आश्चर्य की बात समझी जाती है। डेमोक्रेटिक सैट में हजबैंड हो या वाइफ हो, हर नागरिक को आजादी है कि जिस तरह की जिन्दगी चाहे वह व्यतीत करे। लेकिन अमरीका जहां डाइवोर्स की प्रथा ज्यादा है, यहां मैंने देखा है कि उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहता है। मैंने वहां बहुत से परिवारों को देखा है। वहां तमाम सुविधायें हैं, कार आदि की सुविधायें हैं। अमीर लोग भी वे बहुत हैं। इस डाइवोर्स की बात को लेकर वहां पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है। यदि मन नहीं मिलता है तो स्त्री हो या पुरुष दोनों को हक होना चाहिए कि वे एक दूसरे से अलग हो जायं। लेकिन जल्दबाजी में कोई बात नहीं होनी चाहिए। हिन्दुस्तान की फिजा अलग है, ऐतिहासिक फिजा दूसरी है। यहां जो ट्रेडीशंज हैं वे दूसरी हैं। इन हिस्टौरिक ट्रेडीशंज को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। बेशक आप यह कहें कि यह साइंटिफिक एज है लेकिन जो सोशली आवश्यक चीजें हैं, जो बातें हैं, उनको आपको कबूल करना होगा। इसलिए एक साल वाला जो संशोधन राज्य सभा ने मंजूर किया है वह अच्छा नहीं है। ओरिजनल बिल में जो था वह अच्छा था। उसी के मुताबिक मेरा संशोधन भी है। मैं समझता हूँ कि सदन को पूरा हक है कि दो साल की जो बात थी, उसी को रखे। इससे छूट देने की जो बात है, तलाक की जो बात है वह भी रह जायगी और साथ ही साथ जो हमारा उद्देश्य है कि मिलन हो जाये, वह भी पूरा हो जायेगा।

श्री त्यागी ने रूस की बात कही है। लेनिन की बात भी कही है। वहां बार कम्युनिज्म के दिनों में पूरी छूट दे दी गई थी कि जो चाहे डाइवोर्स दे सकता है। लेकिन देखा गया कि इससे पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चला। इतनी छूट सोशल स्ट्रक्चर जो वहां था उसको बिगाड़ रही थी। तब कम्पलशन के जरिये नहीं बल्कि एक वातावरण के जरिये यह महसूस होने लगा कि कम डाइवोर्स हों तो पारिवारिक जीवन सुखी हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि यदि समाजवाद हमारा लक्ष्य है तो यहां छूट भी रहनी चाहिये लेकिन इसके साथ साथ एक वातावरण कोओप्रेशन का भी रहना चाहिए। जिस तरह से कोओप्रेशन का वातावरण कम्युनिटीज के बीच होना चाहिए उसी तरह से दो व्यक्तियों के बीच भी होना चाहिए। दो साल की जो अवधि ओरिजनल बिल में थी वह सही थी। उस ख्याल से मैं चाहता हूँ कि मेरा संशोधन मान लिया जाए।

श्री क० ना० तिवारी : (बतिया): यह जो राज्य सभा से तरमीम हो कर आई है, इसकी मैं ताईद करता हूं। सैपेरेशन के जो केस

कोर्ट से जाते हैं, उनमें बरसों लग जाते हैं और स्त्री और पुरुष दोनों दुखी हो जाते हैं। वह बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। इंग्लैंड में अभी एक कानून पास हुआ है। अगर हस्बेंड और वाइफ़ पांच या पांच बरस से ज्यादा अलग-अलग रहते हैं और इस बात का सबूत मिल जाता है कि दोनों में सम्बन्ध नहीं है, तो दोनों में से किसी को भी यह राइट है कि वह कोर्ट में दरख्वास्त देकर एक दूसरे से सम्बन्ध विच्छेद कर ले। हमारे यहां शास्त्रों में चाणक्य ने और दूसरों ने भी लिखा है, इसके बारे में। मेरा खयाल है कि त्यागी जी ने उसको पढ़ा भी होगा। वह आर्य भाषी हैं। इस वास्ते वह मानते ही होंगे कि अगर पत्नी और पतिरजस्वला के कुछ निश्चित समय तक यदि मिलते नहीं हैं तो उनका डाइवोर्स हुआ समझा जाता है।

इस वास्ते जो संशोधन है हिन्दू मैरेज एक्ट में इसकी मैं ताईद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको मान लिया जाये।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a welcome measure. I do not know why Mr. Tyagi raised so many points which to my mind appeared to be very misleading. On the basis of religion he cannot object to this Bill. To say that Hindu religion does not permit divorce is not a correct appraisal of Hindu religion. It is a conglomeration of various customs and traditions prevailing in this country. I would like to tell Mr. Tyagi that in Tamilnadu there are a few communities which had this practice of divorce from time immemorial. They are practising it even today and this measure of legalising divorce is not in any way going to change their mode of life. It is only permitting what is already permissible according to tradition. If my Jana Sangh friends would think that divorce has no religious fanction then I am afraid about 30-40% people in Tamilnadu would be treated as different from Hindus. This kind of dangerous religious propaganda should be put an end to.

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Why are you quoting me? I have not said that.

SHRI S. KANDAPPAN: I would only like to appeal to the Minister that in the stress and strain of the modern world too much liberalisation of divorce may not be conducive; but I think in our country there is a strong case. We have got to simplify even certain provisions that we have adopted in the Hindu Marriage Act or the Special Marriage Act and Government should think on those lines instead of trying to put a brake over the progressive measures we have taken. So, I welcome this Bill.

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया): उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह विधेयक एक प्रगतिशील कदम है, इसलिए मैं इस का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में जो एक साल की अवधि रखी गई है, उस को छः महीने कर दिया जाये। (व्यवधान) अभी माननीय सदस्य ने लेनिन को भी मिसकोट किया है और अमरीका के डाइवोर्स सिस्टम को भी गलत रूप में पेश किया है। अमरीका में एक पूंजीवादी समाज है और इस कारण वहां पर सामाजिक विकृतियां हैं और "हिप्पी" सभ्यता पैदा हुई है। इसी वजह से वहां पर डाइवोर्स ज्यादा होते हैं, यद्यपि सोवियत यूनियन की तुलना में वहां पर डाइवोर्स के कानून ज्यादा कड़े हैं। ...(व्यवधान)...सोवियत यूनियन एक समाजवादी मुल्क है और वहां पर डाइवोर्स के कानून बहुत आसान हैं, लेकिन जहां तक व्यवहार का सम्बन्ध है, समाजवादी व्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता के कारण, और नये किस्म के इन्सान के निर्माण के कारण, सोवियत यूनियन में डाइवोर्स अपेक्षाकृत कम होते हैं।...(व्यवधान)...

लेकिन इस सम्बन्ध में हमें केवल कानूनों का सहारा ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि सामाजिक आन्दोलन से और सामाजिक चेतना जगाने से लोगों में सहयोगपूर्ण जीवन बिताने की प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए। ऐसा किये बिना केवल कानून में संशोधन करने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में दहेज और बच्चों की शादी को रोकने के सम्बन्ध में कानून बने हुए हैं लेकिन लोगों की सामाजिक चेतना न जगाये

[श्री क० मि० मधुकर]

जाने के कारण उन कानूनों का उल्लंघन होता है। इसलिए जब आप ने नये दृष्टिकोण को अपनाया है और इस कानून में संशोधन आप लाए हैं तो ऐसी बात नहीं है, साथ-साथ सामाजिक आन्दोलन भी ऐसे होने चाहिए, ऐसी चेतना जगानी चाहिए कि समाज के अन्दर यह चीज प्रचलित हो। इसलिए मैं इस अमेंडमेंट को पसंद करता हूं और साथ-साथ कहना चाहता हूं कि 6 महीने होना चाहिए, साल भर का समय अधिक है। क्योंकि शादी के बाद अगर जीवन का परस्पर मेल न रहे तो एक घंटा भी एक साथ रहना असंभव है। हमारे देश में भी ऐसा रहा है। जब से पितृसत्तात्मक सोसाइटी कायम हुई तब से स्त्रियों के अधिकार बहुत से छीन लिए गए। उसके बाद आज तक सामंती समाज में और पूंजीवादी समाज में भी नारी की स्वतंत्रता और नारी के अधिकारों का हनन किया गया है। यह पहले पहल समाजवादी समाज ही ऐसे हैं जिस में नारी को अपने अधिकार मिले हैं। वास्तव में नारी और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। इस लिए यह जरूरी है कि इस डाइवोर्स कानून को और आसान बनाया जाय।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी त्यागी जी और बहुत से और मित्र यह कह रहे थे कि संशोधन के स्वीकार किए जाने से गृह-जीवन खराब हो जायेगा, बच्चों का क्या होगा ? और उस सन्दर्भ में लेनिन की और दूसरे मुल्कों की व्यवस्था कर रहे थे। मुझे लगता ऐसा है कि उन्होंने इस संशोधन को पढ़ा नहीं है या ठीक तरह से समझा नहीं है। संशोधन केवल इस बात का है कि अगर किसी आदमी को जूडिशियल सैपरेशन की डिग्री प्राप्त हो जाती है या रेस्टीट्यूशन आफ कांजुगल राइट्स की डिग्री प्राप्त हो जाती है तो उस का अब तक तो यह कायदा था कि दो साल के बिना वह डाइवोर्स के लिए आ नहीं सकता था। अब वह समय घटा कर के साल भर का कर दिया गया। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं हो सकती कि एक आदमी जिस के खिलाफ डिग्री हासिल कर ली गई हो सेपरेशन की या रेस्टीट्यूशन आफ कांजुगल राइट्स की और उस के बावजूद भी वह गृह-जीवन का आनन्द प्राप्त न कर सके तो क्या मतलब है कि दो साल के लिए उस पर पाबन्दी रहे कि वह डाइवोर्स के लिए अप्लाई न कर सके ? मैं यह मानता हूं कि असल में स्वस्थ परम्परा के लिए यह आवश्यक है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय। जहां तक डाइवोर्स की बात है, जहां तक उस के लिए माहौल की बात है कि देश के अन्दर डाइवोर्स न हों उस के लिए हमें सामाजिक वातावरण बदलना पड़ेगा। समाज में ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी जिस से हमारी पुरानी संस्कृति के मुताबिक स्त्रियों के साथ हम न्याय का बर्ताव कर सकें, गृह लक्ष्मी के तौर पर उन का आदर करना सीखें। अगर हम सब यह वातावरण देश के अन्दर पैदा करते हैं, हमारे देश के अन्दर नारी को गृह लक्ष्मी का स्थान हम अपने घरों में देते हैं तो यह डाइवोर्स की बात कभी भी पैदा नहीं हो सकती। आप कानून के जरिए से इस की मियाद तीन या छः वर्ष कर दें तो इस का भी को परिणाम निकलने वाला नहीं है। बल्कि उस से और ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मानता हूं कि सदन को इसे स्वीकार करना चाहिए।

SHRI GOVINDA MENON: Mr. Deputy-Speaker. Sir, I am thankful to Members who threw a good deal of light on the provisions of this Bill, but I have to make it clear that the Special Marriage Act is a measure to which very few people in the country resort. A large number of

marriages take place under the Hindu customary marriage laws and among the Muslims it is done under the customary laws of the Muslims. But there is a very small section of the population which sometimes has a registered marriage by resorting to the provisions of the Special Marriage Act. This provision in section 27 applies only to that microscopic minority of our population who have married under the Special Marriage Act.

This Bill was introduced in the Rajya Sabha and not in the Lok Sabha. The object was to see that the provision to get a divorce after judical separation should be available to both parties to the marriage. According to the law, as it stood, it was available only to one of the two parties who got the order of separation. That created difficulties. That was the change for which the Bill was introduced in the Rajya Sabha. The period fixed was 2 years. But in the Rajya Sabha, I accepted an amendment that it should be reduced to 1 year. Even this 1 year will not be sufficient because after a judical separation order is obtained, 1 year later, the party concerned can again move the court—that is what it comes to—and the time taken in the court will also be there.

The hon. Member, Shri O. P. Tyagi, referred to the Child Marriage Restraint Act, the Dowry Prohibition Act, and so on. He made very valuable suggestions regarding that. But I may say without any disrespect to him that that is not relevant when we consider this particular Bill before the House. He spoke about the lot of children also. Section 38 of the Special Marriage Act provides that the court can issue orders, just and proper orders, for the care and safety, custody, etc. of a child when a divorce order is passed. I would, therefore, submit that this House should give support to this Bill and pass it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Special Marriage Act, 1954, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

There is no amendment to Clause 2.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—(*Amendment of section 27*)

Amendment made:

Page 2, line 12,—

for "1968" *substitute* "1970" (3)

(Shri Govinda Menon)

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 2, lines 14 and 15,—

for "resumption of cohabitation" *substitute* "compromise" (4)

Page 2, line 16,—

for "one year" *substitute* "two years" (5)

Page 2, line 21,—

for "one year" *substitute* "two years" (6)

Page 2, lines 14 and 15,—

for "resumption of cohabitation" *substitute* "reunion" (7)

Page 2, lines 14 and 15,—

for "cohabitation" *substitute* "married life" (10)

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि एक साल के अन्दर या कम से कम अगर को-हैबिटेशन दोनों का न हुआ हो, तो तल्लाक देने का अधिकार है। आपने शायद यह सोचा है कि नौजवान ही डाइवोर्स लेंगे, लेकिन ऐसी आयु के लोग भी हो सकते हैं जहां कोहैबिटेशन की बात ही न हो। आप किसी के कोहैबिटेशन को कैसे साबित कर सकते हैं, ऐसी ऐज के लोग भी हो सकते हैं, जिस में कोहैबिटेशन हो ही नहीं सकता। इस लिये आप का यह बिल कमजोर है—मैं चाहता हूं कि कोहैबिटेशन की जगह मैरिड-लाइफ कर दीजिये, तब यह ठीक हो जायगा। हिन्दी में दाम्पत्य जीवन रख दीजिये—वरना आप का यह बिल बेकार है।

श्री शिव चन्द्र झा : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटीज के लिए हैं—मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मंत्री महोदय दो जुबानों में कैसे बोल रहे हैं। सारे हिन्दुस्तान के लिये यह बात लागू हो, उस में वह विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोगों के लिये ही इस को करना चाहते हैं—भारतीय दर्शन में विश्वास नहीं करते हैं। यह कन्ट्राडिक्ट्री बात है—जब एक साल में कुबूल कर सकते हैं तो एक महीने में भी कुबूल कर सकते हैं, एक महीना कर दीजिये। लेकिन आप तो कामचलाऊ बात में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस को दो साल रखें, ताकि सारे देश पर लागू हो सके।

SHRI GOVINDA MENON : The Special Marriage Act is an enabling Act which will enable those who want to marry under that Act to resort to the provisions of the Act. There is no discrimination in this thing. That is why I said, it applies only to a small minority and the provision of one year has been fixed. Provision of one month has not been fixed because that will be ridiculously low.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : There is the question of paternity.

SHRI GOVINDA MENON : Mr. Tyagi wants the word 'cohabitation' to be substituted by 'married life'. 'Married life' is a very indefinite term.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : It is a complete word.

SHRI GOVINDA MENON : It is a complete word. But what is 'married life' if you are not living together ? Marriage is there because the marriage is in force. I, therefore, cannot accept these amendments.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now I will put amendments 4, 5, 6. 7 and 10 of Shri Tyagi to the vote of the House.

Amendments Nos. 4 to 7 and 10 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : As Shri Jha's amendments are the same, I am not putting them.

Now the question is :

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 1—*Short Title.*

SHRI GOVINDA MENON : Sir, I beg to move :

Page 1, line 4,—

for "1968" *substitute* "1970" (2)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

Page 1, line 4.—

for "1968" *substitute* "1970". (2)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the question is :

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

SHRI GOVINDA MENON : Sir, I beg to move :

Page 1, line 1,—

for "Nineteenth" *substitute* "Twenty-first" (1)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

Page 1, line 1,—

for "Nineteenth" *substitute* "Twenty-first" (1)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended was added to the Bill.

Title

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

SHRI GOVINDA MENON : I move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is another Bill— a very short Bill. If the House agrees, we will just go through the formalities of passing it.

Mr. M. R Krishna.

---

16 24 hrs.

ARMY, AIR FORCE AND NAVAL LAW (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : Sir, on behalf of Shri Swaran Singh I beg to move :

"That the Bill further to amend the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 and the Navy Act, 1957, be taken into consideration."

MR DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 and the Navy Act, 1957, be taken into consideration."

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के जो हमारे सिपाही हैं, उनकी जो प्रापर्टी है और जो क्लेमेन्ट हैं उस के लिए पहले नियम यह था कि पांच हजार तक कोर्ट्स में एफिडेविट की जरूरत नहीं और अब आप कह रहे हैं कि दस हजार तक प्रापर्टी हो तो उसमें एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है, वे जाकर क्लेम कर सकते हैं। मेरा संशोधन यही है कि 10,000 रु० की रकम आज कल के समय को देखते हुए कम है, इस को 15,000 रु० करना चाहिये। पुराना विधेयक 1950, 1957 का आप 1970 में अमेंड कर रहे हैं इसलिये 5,000 रु० को बढ़ाकर आप 10,000 रु० कर रहे हैं। पहले से रुपये की कीमत घट गयी है इसलिये 10,000 रु० कम है, इस को बढ़ाकर 15,000 रु० करना चाहिये।

जो फ़ौजी आदमी देश की सेवा करते-करते मारा गया है और उस का कोई क्लेमेंट है तो 10,000 के बजाय 15,000 रु० तक का क्लेम करने की उस को सुविधा होनी चहिये। उस से ज्यादा की रकम हो तो आप सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। मंत्री जी बतायें कि कितने ऐसे केसेज हैं जहां 10,000 रु० के क्लेमेन्ट्स हैं और कितने उस के उपर के हैं। यदि 15,000 रु० के बहुत थोड़े हैं तो बात समझ में आ सकती है। रुपये की वैल्यू आज कल कम हो गयी है इसलिये फौजी आदमी जो काम करते हुए मारा गया है उस के परिवार के लिये 10,000 रु० की जगह 15,000 रु० आप रखें। यही मेरा संशोधन है।

श्री क० गो० सेन (पूर्णिया) : माननीय शिव चन्द्र झा ने जो बात कही वह सही है। चीजों के दाम चार, पांच गुने बढ़ गये हैं। किसी आदमी ने 5,000 रु० के नेशनल सेविंग्स सर्टिफ़िकेट खरीदे तो 12 साल बाद 7,500 रु० के हो जायेंगे, और अगर फिर वह उसी रुपये को उसी में इनवेस्ट कर देता है तो 12 साल बाद 11,000 रु० हो जायेंगे। इसलिए मेरी राय में 10,000 रु० की जगह कम से कम 20,000 रु० करना चाहिये।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : The objects and reasons of this Bill are very clear and it should be welcomed,